सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	श्रावण 27, शुक्रवार, *शाके* 1945-अगस्त 18, 2023 *Sravana 27, Friday , Saka 1945- August 18, 2023*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

परिवहन एवं सडक सुरक्षा विभाग

अधिसूचना

जयपुर, अगस्त 18, 2023

संख्या एफ 9 (922)परि/आरटीए/मु./2002/II/2019/19273 :-भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का. आ. 921(अ) दिनांक 13.08.2003 के निर्देशानुसार मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 59) की धारा 74 की उप धारा (3) खंड(क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक प 9(922)परि/आरटीए/मु./2002/ I/13652 दिनांक 20.07.2015 में आंशिक रूप से संशोधन करते हुए राज्य परिवहन प्राधिकरण, जयपुर एवं प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, जोधपुर को निम्न निर्देश जारी करती है, अर्थात:-

<u>निर्देश</u>

यतः राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि इस प्रकार की परिस्थितियां विद्यमान है कि जोधपुर शहर में संविदा वाहन के रूप में चलने वाले ऑटो रिक्शा/ऑटो तांगा की संख्या में वृद्धि किया जाना आवश्यक हो गया है।

अत: जोधपुर शहर में संविदा वाहन के रूप में चलने वाले तिपहिया ऑटो रिक्शा/ ऑटो तांगा की संख्या सीमित करने की दृष्टि से राज्य सरकार, राज्य परिवहन प्राधिकरण, जयपुर एवं प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण, जोधपुर को निर्देशित करती है कि वे इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि से जोधपुर शहर में संचालित ऑटो रिक्शाओं की संख्या 7900 इस शर्त पर सीमित करेगें कि नये परमिट केवल एल.पी.जी/सी.एन.जी चलित तिपहिया यात्री वाहनों को ही जारी किये जाएंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,
महेन्द्र कुमार खीचीं,
संयुक्त शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।